तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :– 221/2024 रामकरण बनाम लालचंद प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम मुण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1177 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1178 रकबा 0.14 है0 भूमि अवस्थित है, जिसका न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद पत्र उनवानी रामकरण बनाम लालचंद प्रकरण संख्या 352/2023 पेश किया जिसमें दिनांक 15.02.2024 को विभाजन प्रस्ताव बनाये गये। विभाजन प्रस्ताव में खसरा नं. 1178/3 रकबा 0.0288 है0 भूमि रास्ते हेतु सामुहिक खाते में रखी गई थी। विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दिनांक 22.03.2024 को वाद अंतिम रूप से डिक्री किया गया था जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण संख्या 223 स्वीकार किया गया। परन्तु रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि कि किस्म बारानी–1 दर्ज कर दी जिसे गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाये। पत्रावली के संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट और प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार गुढागौड़जी ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नं. 1655/1178 रकबा 0.0288 है0 की किस्म बारानी 1 की बजाय गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :– –: आदेश :– प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मुण्डों की ढाणी पटवार हल्का बजावा तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 1655/1178 रकबा 0.0288 है0 की किस्म बारानी 1 की बजाय गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 31/12/24 (हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं	

Scanned with OKEN Scanner